

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/1165/2025 दि0 लखनऊ: अगस्त 25, 2025

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक 1070/2025 दिनांक 24-07-2025 के द्वारा माह सितम्बर, 2025 में जनपद वाराणसी में युगलपीठ का गठन दिनांक 01-09-2025 से 04-09-2025, 15-09-2025 से 19-09-2025 एवं 22-09-2025 से 26-09-2025 तक किया गया था। उपरोक्त तीनों युगलपीठों में विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5 वाराणसी को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ-1, वाराणसी के पत्र संख्या-532 दिनांक 20-08-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि सदस्य, पीठ-5, वाराणसी चिकित्सा/उपार्जित अवकाश पर चल रही हैं।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1070/2025 दिनांक 24-07-2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद वाराणसी में गठित युगल पीठ में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5, वाराणसी के स्थान पर दिनांक 01-09-2025 से 04-09-2025 तक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ को एवं दिनांक 15-09-2025 से दिनांक 19-09-2025 तक एवं दिनांक 22-09-2025 से दिनांक 26-09-2025 तक गठित युगल पीठों में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ को नामित किया जाता है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-25.08.2025

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1165/2025 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ-1,2,3,4,5 व 6, वाराणसी।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ।
- 4- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।